98

<u>न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर</u>

निगरानी/सतना/भू.रा./2017/2941 पुनरीक्षण प्र0क0........................../2017

मीरा बाई सेन पुत्री स्व0 जगन्नाथ सेन निवासी अशोक मार्ग सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0..आवेदिका/निगराकार

बनाम

1—गुलाबचन्द्र सेन तनय स्व0 जगन्नाथ सेन निवासी अशोक मार्ग सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

2—देवरती पुत्री स्व0 जगन्नाथ सेन निवासी अशोक मार्ग सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

3—नजूल विभाग म0प्र0 शासन

4—गोविन्द तनय रामेश्वर नाई निवासी फूलचन्द्र चौक सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0...अनावेदकगण/गैरनिगराकारगण

पुनरीक्षण (निगरानी) विरूद्ध आदेश न्यायालय नजूल अधिकारी सतना म0प्र0 जरिये प्र0क04अ20(1)/10—11 एवं संलग्न प्र.क.7अ20(1)/70—71एवं 23अ20(1)12—13 <u>आदेश दिनांक 13.06.2017।</u>

<u>पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959।</u>

मान्यवर,

उपरोक्त सदर्भ में आवेदिका निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनय करती है :—

<u>प्रकरण के तथ्य</u>

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका व अनावेदिका क0 1 आपस में सगी बहनें है तथा अनावेदक क0 1, आवेदिकागणें के पिता की दूसरी पत्नी के विवाह के समय साथ लेकर आया हुआ पुत्र है, जिसकी उम्र 5 वर्ष थी जब अनावेदक क0 1 की मॉं की शादी आवेदिका के पिता के साथ हुई थी।

विवादित नजूल भूखंड नगर सतना में स्थित है जो नजूलशीट क0 142ए, भूखंड क0 148/1 रकवा 624 वर्गफिट है। जो आवेदिका व अनावेदिका क0 1 के पिता जगन्नाथ सेन व उनके बड़े पिता ठाकुरदीन सेन के नाम पर इन्द्राज है। जिसमें 1/2 हिस्सा ठाकुरदीन का था तथा 1/2 हिस्सा जगन्नाथ सेन का था। जगन्नाथ सेन फौत हो चुके है तथा ठाकुरदीन भी लावल्द फौत हो चुके है।

कमशः——2

मीरा सेन

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / सतना / भू.रा. / 2017 / 2941

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
13 –11–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। पैनल अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नजूल अधिकारी सतना के प्रकरण कमांक 4 अ–20 (1) / 10–11 / एवं संलग्न प्रकरण कमांक 7 / अ–20 (1) / 70–71 / एवं 23 / अ–20 (1) / 12–13 आदेश दिनांक 13.6.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। निगरानी में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा नजूल अधिकारी सतना के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। नजूल अधिकारी द्वारा प्रकरण को अमान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। वेसे भी उभयपक्ष को अपना अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त है, उनके यहां पकरण संचालित है। 3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर नजूल अधिकारी सतना	

के प्रकरण कमांक 4 अ–20 (1)/10–11/ एवं संलग्न प्रकरण कमांक 7/अ–20 (1)/70–71/एवं 23/अ–20 (1)/12–13 आदेश दिनांक 13.6.17 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य